

12-12-15

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।
प्रार्थी के वकील उपस्थित। प्रार्थी का मुल वाद
डिफेंड किया जा चुका है। इस प्रापत्र के
चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः
प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसलपुर शेर नम्बर से कम हो तथा
शामिल मुल वाद हो।

(५)